महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्था./4/सी.भ./वा.चा./2010/ 617 दिनांक:- 7/4/17

विज्ञप्ति

राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001 के अन्तर्गत कारागार विभाग में वाहन चालको के सीधी भर्ती के 7 रिक्त पदों पर इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या 01/2017 क्रमांक 518 दिनांक 06.04.2017 के अनुसार ट्रेड टेस्ट के माध्यम से भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या दस्ती विज्ञप्ति प्रकाशन से दिनांक 06.05.2017 सायंकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के पते पर भिजवाये जावे, जिसके लिफाफे पर वाहन चालक पद हेतु आवेदन अंकित किया जावे। दिनांक 06.05.2017 को सांयकाल 5.00 बजे पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य		पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	वाहन चालक	7	4	1	1	-	1	-

आवेदन शुल्क -

1) *सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 300/- का निर्धारित आवेदन शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो ''प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर'' के नाम से देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।*
2) *अनुसूचित जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं- रूपये 150 /- का निर्धारित आवेदन शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो ''प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर '' के नाम देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।*
3) *शुल्क राशि भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में ही मान्य होगी। पोस्टल आर्डर के अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट, नकद, चैक, ट्रेजरी चालान, मनीआर्डर, डाक टिकिट स्वीकार नहीं किये जायेगें। शुल्क कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा। दोषपूर्ण भारतीय पोस्टल आर्डर प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। और ना ही आगामी भर्ती हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।*
4) *राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों एवं राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक सामान्य श्रेणी का आवेदन भर कर आवेदन करे।*

5) *सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, विभाग को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उनके द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाये तथा ऐसी रीति से करेगा जो विभाग द्वारा दर्शायी जाये।*

आरक्षण

राजस्थान की अनुसूचित जाति, राजस्थान का पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण

(1) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(2) विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला हेतु 30% , भूतपर्व सैनिक हेतु रिक्त पदों का 1/3, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 2% पदों का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे संबंधित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 % होगा, जिसमें से 8% विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 % परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। (विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम अधिकारी से जारी अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(3) किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलबध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(4) अनुसूचित जाति के पात्र एवं उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों से नहीं भरा जायेगा। किन्तु पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस वर्ग के आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से भरा जा सकेगा।

(5) विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति (अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो:-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(7) विज्ञापन जारी होने के पश्चात् यदि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जाती है तो विभाग द्वारा नियमानुसार उन पदों हेतु भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा।

(8) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है। अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(9) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक 16.08.16 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी (Stats) खो देगा और वह केवल लोक सेवा (Civil employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात: भूतपर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

(10) उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

आयु :-

आवेदक, 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उक्त अधिकतम आयु सीमा में-

1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अनुसार गत वर्षो में वाहन चालक के पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की शिथिलता देय होगी।
2. जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित है उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी। परन्तु जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित नहीं है उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।
3. जिन पदों में अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित है उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अध्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है। परन्तु जिन विषयों में अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं है उन्हें आयु सीमा में इस छुट का लाभ देय नहीं होगा।
4. जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित है उन्हें 10 वर्ष की छुट देय होगी और जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए पद आरक्षित नहीं है। परन्तु इन वर्ग के सामान्य पद आरक्षित है तो उन विषयों हेतु उन वर्गो की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छुट देय होगी।
5. जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिलाओं के पद आरक्षित नहीं है।

उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

6. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।
7. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेवा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
8. भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
9. विधवाओं और विवाह विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : यह है कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विछिन्न महिला के मामलें में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

10. एन.सी.सी. के कैडिट- प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालाविधि के बराबर छूट की जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकत आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
11. उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका या और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
12. अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
13. पंचायत समितियों और जिला परिषदों एवं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

<u>राष्ट्रीयता</u> - सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह -

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ड.) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनियां, युगाण्डा तथा तन्जानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मलावी,जेरे तथा इथ्योपिया से आया हो।

(1) (ख) (ग) (घ) और (ड़) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट/अयोग्यताः

क्र.सं.	नाम पद	पात्रता
1.	वाहन चालक	1 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/बोर्ड से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण *एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान एव राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।* 2 हल्का एवम् भारी वाहन चलाने का स्थाई लाईसेन्स। 3 वाहन चालक के रुप में तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव 4 वजन 65 किलोग्राम से अधिक न हो 5 आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित- 6×6 6 वाहन की रोड़ साईड रिपेयर का ज्ञान और वाहन चालन की दक्षता की जाँच ट्रेड टेस्ट द्वारा ली जावेगी।

नोटः-

1. आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 06.05.2017 को उक्त पात्रता अनुसार वाहन चालक पद के लिये तीन वर्ष का हल्के एवम् भारी वाहन चलानें का लाईसेन्स एवं अनुभव आवश्यक रुप से होना चाहिये। उक्त वर्णित पात्रता के दस्तावेजो के सत्यापन पश्चात ही ट्रेड टेस्ट के लिये बुलाया जायेगा। पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। ऐसे अभ्यार्थिया का आवेदन शुल्क भी नहीं लौटाया जावेगा।

नियुक्ति के लिये अयोग्यताः-

1. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
2. कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो, जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
3. कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
   स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस सीधी भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें।
5. ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती:-

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अथ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक ईकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वात्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

कार्मिक विभाग की अधीसूचना दिनांक 20.11.2015 के अनुसार आवेदक द्वारा पुर्न विवाह किये जाने पर जो किसी विधि विरूद्ध नहीं हो से प्रथम प्रसव की संतान नियुक्ति में बाधक नहीं होगी।

(i) *राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।*

(ii) *आवेदक के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने पर वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि उसे इस संबंध में कोई विधिक छूट नहीं दी गई हो।*

(iii) *भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छुट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेवा से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा।*

वेतनमान एवं पेंशन :-

वेतनमान रनिंग पे बैण्ड-I, 5200-20200 ग्रेड पे -2400

वाहन चालक पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में रखा जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमानुसर नियत पारिश्रमिक देय होगा। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी सेवा के पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे रूपये 2400/- में न्यूनतम वेतन एवं उस पर अन्य भते नियमानुसार देय होंगे।

पेंशन नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

चयन प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जावेगा, जो 100 अंक का होगा।

ट्रेड टेस्ट की योजना

ट्रेड टेस्ट परीक्षण में पास होना अनिवार्य है, इस हेतु अंकों का आवंटन निम्नानुसार है।

* ड्राईविंग टेस्ट के **50 अंक**
* तीन यांत्रिक व विधुतीय त्रुटियों को वाहन से हटाया जाना टेस्ट के **25 अंक**
* रोड़ साईड रिपेयर का ज्ञान **25 अंक**

उक्त पद पूर्णतया तकनीकी कार्य से संबंधित है अतः इन पदों पर चयन की पात्रता हेतु ट्रेड टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

चयन-

उक्त संचालित ट्रेड टेस्ट में सफल रहे अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित योग्यता क्रम में चयन किया जावेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-

(1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से 8 वीं परीक्षा उतीर्ण की अंकतालिका की स्वःप्रमाणित प्रति।

(2) आयु प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति।

(3) वाहन चालन के तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।और यदि राजकीय अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों, राज्य सरकार के निगमों /बोर्ड/आयोगो में पूर्व में संविदा पर अथवा अन्यथा वाहन चालन का अनुभव हो तो अनुभव प्रमाण -पत्र की मूल प्रति।

(4) हल्के एवं भारी वाहन चलाने के लिये वैध ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वःप्रमाणित प्रति।

(5) जाति प्रमाण-पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति।

(6) वजन 65 किलो से अधिक ना हो एवम् आखों की दृष्टि चश्मा रहित/सहित 6X6 के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र।

(7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति।

(8) यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है, तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र।

(9) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/ पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

(10) **8x5** साईज का स्वयं का पता लिखा एवं 25 रूपये का डाक टिकिट लगा लिफाफा।

(11) यह है कि मुझे असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिये मोटर व्हीकल एक्ट/ आई.पी.सी./के अन्तर्गत किसी दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है एवं मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है का नोटरी से सत्यापित 10 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में

(12) संतान संबंधी घोषणा पत्र।

(13) विवाहित होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।

(14) *यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.5(31)कार्मिक/क-2/84 दिनांक*

23.09.1997 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।

नोट-

1. अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. विभाग द्वारा ट्रेड टेस्ट परीक्षण का स्थान व दिनांक के लिये पृथक से सूचित किया जावेगा।
3. विभाग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ट्रेड टेस्ट आयोजन के दिनांक व स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा।
4. आवेदक अपने आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
5. आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

स्वास्थ्य परीक्षण -

विभाग द्वारा भी विभागीय मेडीकल बोर्ड गठित किया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा, जिसमें उपयुक्त पाया गया अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन -

1. आवेदन पत्र के साथ दो जिम्मेदान व्यक्तियों के द्वारा जारी अच्छा चरित्र के मूल प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आवेदक के चरित्र के संबंध में राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 का नियम 18 लागू होगा।
3. चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा उनसे सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच व चरित्र सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

अन्य निर्देश -

(i) उपरोक्त पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को राजस्थान के किसी भी कारागृह/कार्यालय पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) अभ्यर्थी की परस्पर पदीय वरिष्ठता राज्य स्तर पर निर्धारित की जायेगी ।

(iii) आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरण सही होना चाहिये। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित विवरण असत्य एवं नियमानुसार सही नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल चयन से वंचित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार नियुक्ति के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा असत्य विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करना सामने आता है तो नियमानुसार

राज्य सेवा से निष्काषित कर उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के समय प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(v) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।

(vi) विभाग विज्ञाप्ति पदें की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।

(vii) अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त विज्ञापन को कारण बताए बगैर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

(viii) आवेदक आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करले कि आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पद वाहन चालक के लिए पात्रता रखते है अन्यथा आवेदन न करे किसी भी तरह अभ्यर्थी के अयोग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें यह विभाग किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

(ix) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर की वैबसाइट **www.rajprisons.in** पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

वाहन चालक के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदक का नाम	:	....	स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज नवीन फोटा
2.	पिता/पति का नाम	:	....	
3.	माता का नाम	:	....	
4.	जन्मतिथि	:		
	(आयु .... को ऊपरी आयु सीमा में छूट का आधार)	:	....	
	अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ भूतपूर्व सैनिक आरक्षित) ☐ सेवारत राज्य कर्मचारी ☐ विधवा/तलाकशुदा महिला ☐			
5.	लिंग	:	महिला ☐ पुरूष ☐	
6.	वैवाहिक स्थिति	:	अविवाहित ☐ विवाहित ☐ विधवा ☐ तलाकशुदा ☐	
7.	बच्चों की संख्या	:	दिनांक 01.06.2002 से पूर्व	
			दिनांक 01.06.2002 के पश्चात	
			कुल	
8.	राष्ट्रीयता	:		
9.	श्रेणी (सही का निशान लगाये)			
	सामान्य ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछडा वर्ग ☐			
10	परीक्षा शुल्क का विवरण	:		

पोस्टल आर्डर नम्बर/	जारी करने की दिनांक	जारी करने वाले पोस्ट ऑफिस का नाम	राशि
	योग		

11.	स्थायी पता	:	....
12	पत्राचार का पता	:	....
13	फोन/मोबाईल नम्बर	:	

14	शैक्षणिक योग्यता			
	परीक्षा का नाम	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उतीर्ण किये जाने का वर्ष	श्रेणी
	8^{th}			
	10^{th}			
	12^{th}			
	स्नातक			
	स्नात्कोतर			
	अन्य			

15	वैध ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण		
	अ) कमांक	:	
	ब) वैधता की अन्तिम तिथि	:	
	स) प्राधिकारी, जिसके द्वारा जारी किया गया है	:	
	द) ड्राईविंग लाईसेन्स की श्रेणी	:	

16	क्या आप वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखते है।	:	हाँ ☐ नही ☐
	यदि हॉ हो	:	नियोजित ☐ स्व-नियोजित ☐
	यदि नियोजित है तो निम्न विवरण भरे		

कब से	कब तक	अवधि	संस्था का नाम

यदि आप स्व नियोजित है तो संक्षिप्त विवरण :-	:	

17	क्या आवेदक का ड्राईविंग लाईसेन्स कभी निरूद्ध /निरस्त किया गया है :-		
	हॉ ☐		नहीं ☐
	यदि हॉ तो विवरण	:	

18	क्या आवेदक के विरूद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा/अपील/रिविजन लम्बित है :-		
	हॉ ☐		नहीं ☐
	यदि हॉ तो विवरण		
19	संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण		

मै शपथ बयान करता/करती हूँ कि उपर अंकित विवरण पूर्णतः सही व प्रमाणित है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य व सूचना छिायी नहीं गई है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जावे कि मेरे द्वारा मिथ्या सूचना अंकित की गई है तो बिना किसी सूचना के मेरा आवेदन रद्द कर दिया जावें।

(अभ्यर्थी के हताक्षर)

.....................X...................... X .... X .... X .....

प्रवेश पत्र

1.	आवेदक का नाम		स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज नवीन फोटो
2.	पिता/पति का नाम		
3.	रोल नम्बर		
4.	परीक्षा दिनांक		
5.	स्थान		

हस्ताक्षर जारी कर्ता

शपथ पत्र

मैं.. पुत्र/पत्नि श्री ....

निवासी..सशपथ पूर्वक

स्वीकार करता/करती हूँ और घोषणाकर्ता करता/करती हूँ:-

1. यह है, कि मै ....
   ....का निवासी हूँ।
2. यह है, कि मुझे असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिये मोटर व्हीकल एक्ट/आई. पी.सी. के अन्तर्गत किसी दण्ड से दण्डित नही किया गया है एवम् मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित नही है।

स्थान:- शपथ ग्रहिता

दिनांक:-

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है, कि उपर वर्णित पैरा संख्या 1 व 2 में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, इसमें कोई तथ्य नही छिपाया गया है।

स्थान:- सत्यापनकर्ता

दिनांक:-

<u>-:-विवाह संबंधित शपथ पत्र-:-</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती .... निवासी...................... शपथ पूर्वक बयान करता हूॅं/करती हूॅं कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री........................ निवासी . ... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक..................... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूॅं।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूॅं

(पत्नी/पति/श्री/श्रीमती..) ।

या

मैं तलाक शुदा हूॅं (प्रमाण पत्र संलग्न है) ।

या

मैं परित्यक्ता हूॅं एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को सम्पन्न हुआ था ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

email:- forcejhq@gmail.com

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्था./4/सी.भ./वा.चा./2010/ 518 दिनांकः- 6-4-17

स्थाई आदेश संख्या..1.... /2017

राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001 के अन्तर्गत कारागार विभाग में वाहन चालको के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदकों का 100 अंकों का ट्रेड टेस्ट लिया जायेगा, जिसका निम्नानुसार अंक विभाजन होगा :-

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	ड्राईविंग	50
	(अ) वाहन उचित तरीके से रोकने की क्षमता की जांच परिशिष्ट ''अ'' 15 अंक	
	(ब) स्टीयरींग संचालन जांच परिशिष्ट ''ब'' 15 अंक	
	(स) सर्पिलाकार रास्ते पर वाहन चलाने की जांच परिशिष्ट ''स'') 20 अंक	
	(द) अभ्यर्थी ड्राईविंग में अनुतीर्ण माना जायेगा यदि	
	1. वाहन को सुगमता से नही चला पाता है।	
	2. यदि वाहन को चलाते व रोकते वक्त सही नियंत्रण नहीं रख पाता है।	
	3. यदि चालक अवरोध से वाहन को टकरा देता है।	
	4. यदि वह सर्पिलाकार रास्ते को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है।	
2	तीन यांत्रिक व विधुतीय त्रुटियों का वाहन से हटाया जाना	25
3	रोड़ साईड रिपेयर का ज्ञान	25
	कुल	100

उक्त ट्रेड टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अंकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर अवधारित योग्यता क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

Annexure 'A'

Stop test

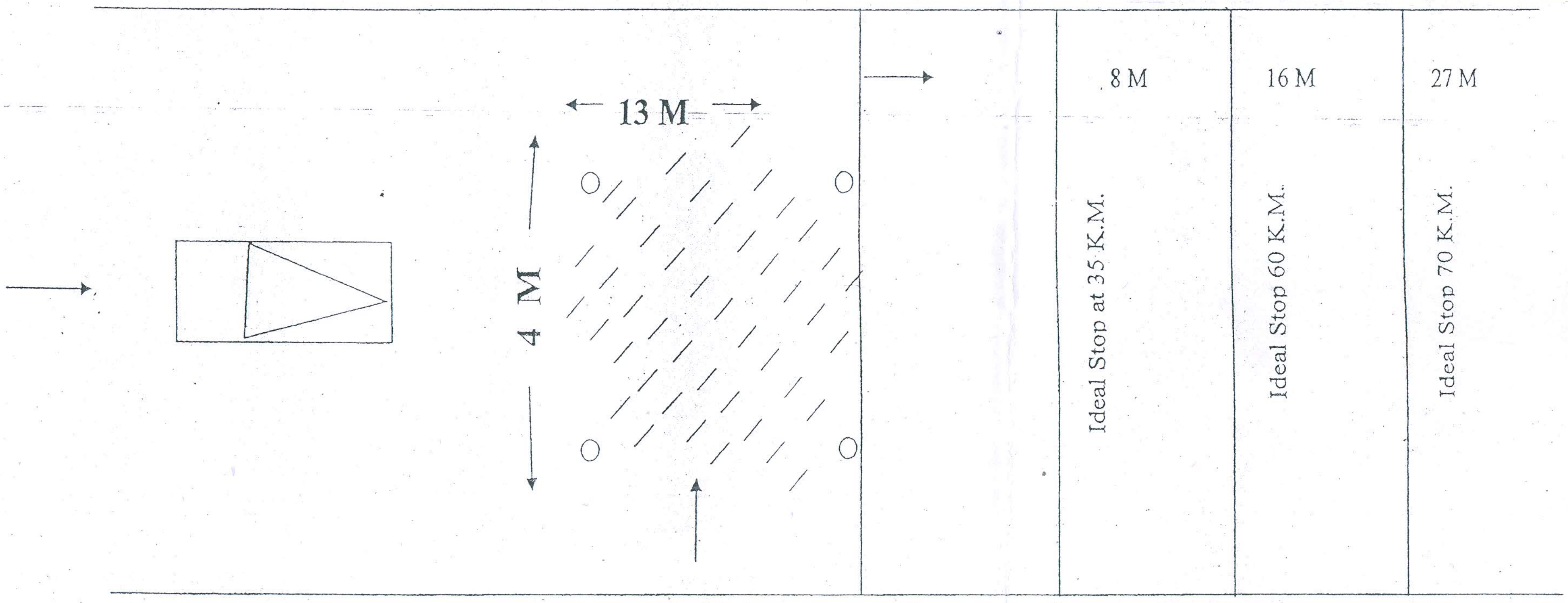

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and when passing the next cones, the brake pedal must be activated.

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

Annexure 'B'

Steering Test

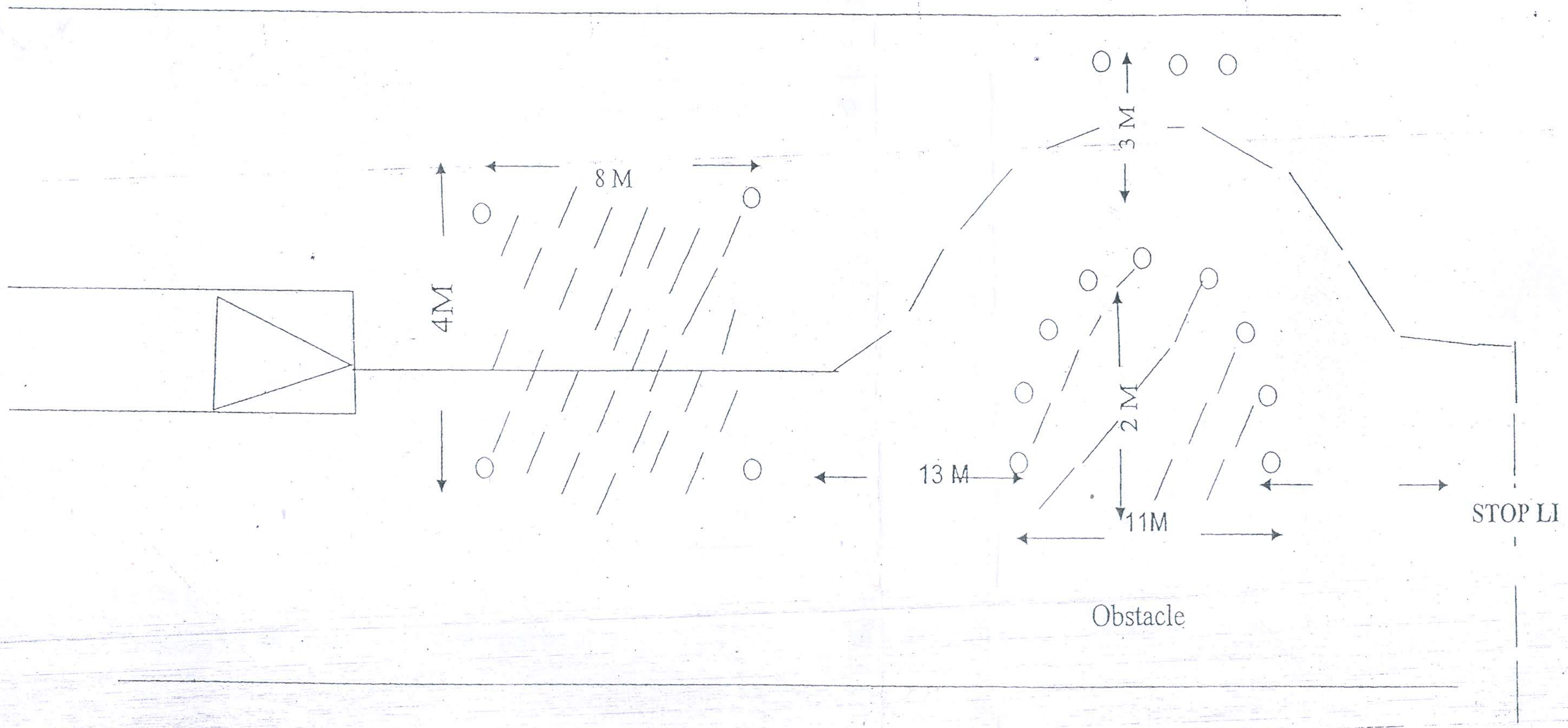

When passing between the first cones, the clutch pedal must be activated and Reducing of speed by the brake pedal and after passing the next cones the obstacle must be avoided by steering control. When passed the obstacle, the vehicle must be brought to a Full stop.

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

Annexure 'C'

HANDLING TEST

Slalom Circuit -6 Cones

Distance between the cones 15 M

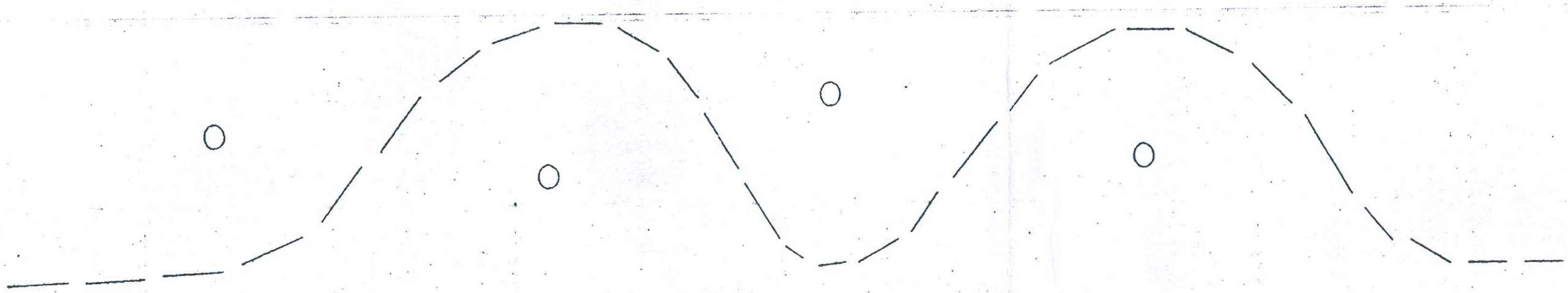

Traffic Cones-

To obtain full (20) Marks, The Driver must be able to control the vehicle with an average speed of 30-40 K.M. through the circuit.

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर